पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.559/स्था./प्रशा./2021 — बिलासपुर, दिनांक 12/10/2021

सीधी भर्ती से पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन (02/2021)

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में ग्रंथपाल (महाविद्यालयीन ग्रंथपाल के स्तर का), (अनारक्षित)– 01 पद (वेतन 15600–39100 + G.P. 6000) में सीधी भर्ती से भरने हेतु पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में कुलसचिव, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के पते पर पंजीकृत डाक (स्पीड पोस्ट/कोरियर) से दिनांक 12/11/2021 अपराह्न 5:30 बजे तक मय अभिलेखों के साथ आवेदन–पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन–पत्र का प्रारूप, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य समस्त जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.pssou.ac.in पर उपलब्ध है। अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टीप :

1. आवेदन शुल्क सामान्य/पिछड़ा वर्ग रु. 700/– एवं अजजा/अजा हेतु रु. 400/– का भुगतान चालान के माध्यम से किया जाना है। आवेदन–पत्र के साथ चालान की प्रति अनिवार्यता संलग्न किया जाए।
2. ग्रंथपाल पद हेतु वर्ष 2019 (1/2019) में विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता होगी परन्तु कोई शुल्क नहीं देना होगा।

कुलसचिव

सीधी भर्ती से पदों की पूर्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता, सामान्य शर्ते एवं अन्य जानकारी

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ – ग्रंथपाल (महाविद्यालयीन ग्रंथपाल के स्तर का) :–

1. कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहाँ प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान अथवा प्रलेखन विज्ञान में निष्णात उपाधि अथवा समतुल्य पेशेवर उपाधि।
2. पुस्तकालय में कम्प्यूटरीकरण के ज्ञान के साथ सतत् रूप से बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड
3. उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के अलावा, अभ्यर्थी को U.G.C., C.S.I.R. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) अथवा U.G.C. द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा यथा SLET/SET उत्तीर्ण करनी होगी अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (M.Phil/Ph.D. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक व प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 एवं समय–समय पर इन्में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार Ph.D. की उपाधि प्रदान की गई हो :

   बशर्ते कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व Ph.D. की उपाधि के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी ऐसी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के मौजूदा अध्यादेशों/उपविधियों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे तथा ऐसे Ph.D. अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए NET/SLET/SET की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होगी :–

   (क) अभ्यर्थी को Ph.D की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;

   (ख) Ph.D शोध प्रबंध का कम से कम दो बाह्रय परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया गया हो;

   (ग) Ph.D के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

   (घ) अभ्यर्थी ने अपने Ph.D कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

   (ड) अभ्यर्थी ने UGC/ICSSR/CSIR अथवा इसी प्रकार की एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने Ph.D कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किए हों।

सामान्य नियम एवं शर्तें –

1. विज्ञापित पदों में आरक्षण रोस्टर का निर्धारण छ.ग. लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ें वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार रोस्टर बिन्दु के अनुसार पद विज्ञापित किये जा रहे है।
2. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं/निगम/मंडल/विश्वविद्यालय आदि में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा।
3. शासन द्वारा निर्धारित कम आयु सीमा से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
4. इस विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जिनकी किसी आरोप के कारण सेवा समाप्त की गई है, वे किसी भी पद के लिये अर्ह नहीं होंगे।
5. आवेदन विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.pssou.ac.in पर ऑनलाइन माध्यम से भरना होगा तदुपरांत भरे हुए आवेदन को प्रिंट कर संलग्नकों सहित स्वहस्ताक्षरित कर निर्धारित तिथि तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से **कुलसचिव, पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर कोनी, बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)** के पते पर प्रेषित करना होगा।
6. अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्र स्वतः निरस्त माने जायेंगे। निरस्त आवेदन पत्रों के लिए पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
7. एक बार आवेदन जमा किये जाने के बाद परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
8. नवनियुक्त कर्मचारियों को पेंशन की पात्रता नहीं होगी (नवीन अंशदायी पेंशन की पात्रता होगी)।
9. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के विज्ञापन क्रमांक 1986/स्था./19 दिनांक 17.01.2019 (01/2019) में ग्रंथपाल (महाविद्यालयीन ग्रंथपाल के स्तर का) के पद में आवेदन किया था उन्हें फिर से आवेदन करना होगा परन्तु उन्हें पुनः आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी।
10. इस विज्ञप्ति में उल्लेखित पदों तथा शर्तो के निर्वचन का तथा किसी भी समय नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया को स्थगित करने, निरस्त करने एवं अन्य शर्ते विहित करने तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार माननीय कुलपति, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का होगा, जो पूर्णतः बन्धनकारी होगा।
11. किसी भी कारण से निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

कुलसचिव